


कार्यालय-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक: बे०शि०/४५२२-२३ / 2025-26 /
कार्यालय ज्ञाप

दिनांक: 18/10/25

प्रबन्धक देशराज पब्लिक स्कूल बिसरख, गौतमबुद्धनगर ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक: 16.10.2025 द्वारा शासनादेश संख्या-419/79-6-2013-एस (7) / 89 शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 08 मई 2013 के क्रम में विद्यालय की मान्यता का नवीनीकरण/स्थाई करने का अनुरोध किया गया। अभिलेखानुसार इस कार्यालय के पत्रांक: मान्यता / 622-24 / 2018-19 / दिनांक: 27.04.2018 के द्वारा उक्त विद्यालय को कक्षा नर्सरी से 08 तक अंग्रेजी माध्यम की 03 वर्ष की अवधि हेतु अनंतिम रूप से मान्यता प्रदान की गयी थी।

शासनादेश संख्या: 419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक: 08 मई 2013 व शासनादेश संख्या-418/79-6-2013-एस(7)/89 दिनांक 08 मई 2013 की शर्तों के अधीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को शासनादेश के प्रस्तर-13 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत जिन विद्यालयों को औपबन्धिक मान्यता प्रदान की गयी है तथा मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं हुआ है तो औपबन्धिक मान्यता प्राप्त होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है। उक्त संस्था के विरुद्ध कार्यालय को विद्यालय के आरम्भ से अद्यतन कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। अतः विद्यालय देशराज पब्लिक स्कूल बिसरख, गौतमबुद्धनगर मान्यता कोड-G.J.H.S-386 है कि मान्यता को स्थाई समझा जायेगा एवं भविष्य में पत्रांक: मान्यता/622-24/2018-19 दिनांक: 27.04.2018 में उल्लिखित समस्त शर्तों/मानको का पालन एवं शासन द्वारा जारी किये गये नवीन शासनादेश भी प्रभावी होंगे। विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।



(राहुल पवार)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।


पृ०स०/बे०शि०/

2025-26

दिनांक:

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


1. खण्ड शिक्षा अधिकारी बिसरख, गौतमबुद्धनगर।
2. प्रबन्धक देशराज पब्लिक स्कूल, बिसरख, गौतमबुद्धनगर।



(राहुल पवार)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

Deshraj Public School


Manager